



राजस्थान—सरकार

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग,
स्वास्थ्य भवन, तिलक मार्ग, सी-स्कीम, जयपुर

क्रमांक: एक04(0)एमएनजेवाई/डेली ऑनलाइन रिपोर्टिंग/2014-15/ 228 दिनांक: 8.8.14
अतिमहत्वपूर्ण

संबंधित मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी,
संबंधित खण्ड मुख्य स्वास्थ्य अधिकारी,
संबंधित प्रमुख चिकित्सा अधिकारी।

विषय:—निश्चुल्क जांच उपलब्ध नहीं होने का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने बाबत।

संदर्भ:—श्रीमान प्रमुख शासन सचिव महोदय के ईमेल दिनांक 2.5.2014 एवं 15.05.2014 तथा
अद्योहस्ताक्षरकर्ता के आदेश क्र0 53-56 दि0 9.5.14, क्र0 62 दि0 20.05.14, क्र0 86 दि0
2.6.14 एवं पत्रांक 136 दि0 04.07.14 के क्रम में।

उपरोक्त संदर्भ एवं विषयान्तर्गत मुख्यमंत्री निश्चुल्क जांच योजना अन्तर्गत चिकित्सा संस्थान प्रभारियों
को ई-औषधि सॉफ्टवेयर में प्रतिदिन की जाने वाली निश्चुल्क जांचों की ऑनलाइन रिपोर्टिंग करने हेतु स्पष्ट
निर्देश प्रदान किये गये थे, परन्तु अभी तक आपके अधीन सभी चिकित्सा संस्थानों द्वारा रिपोर्टिंग बालू नहीं
की गई है। जिसे प्रमुख शासन सचिव महोदय द्वारा गंभीरता से लिया गया है।

पूर्व में भी आपको सभी चिकित्सा संस्थानों द्वारा ऑनलाइन रिपोर्टिंग आरम्भ करवाने अथवा चिकित्सा
संस्थान में "निश्चुल्क जांच उपलब्ध नहीं होने" का प्रमाण पत्र अद्योहस्ताक्षरकर्ता को प्रस्तुत करने हेतु लिखा
गया था, परन्तु अभी तक आपके अधीन ऐसे चिकित्सा संस्थानों का प्रमाण पत्र उपलब्ध नहीं करवाया गया
है।

अतः पुनः आपको निर्देशित किया जाता है कि आप अपने अधीन ऐसे चिकित्सा संस्थान, जो
ऑनलाइन रिपोर्टिंग नहीं कर रहे हैं, से प्रमाण पत्र संलग्न कर अग्रिम तीन दिवस में अद्योहस्ताक्षरकर्ता को
मय स्पष्टीकरण ईमेल rmsgc.mnjy@gmail.com पर भिजवाना सुनिश्चित करें। ताकि उन्हें अग्रिम कार्यवाही हेतु
प्रमुख शासन सचिव महोदय को अवगत करवाया जा सके।

(डॉ0 बी.आर. मीणा)
निदेशक (जन स्वा0)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ
राजस्थान, जयपुर

दिनांक :

कमांक: एक04()/एमएनजेवाई/डेली ऑनलाइन रिपोर्टिंग/2014/

प्रतिलिपि: निम्न को सूचनार्थ प्रेषित है।

1. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, वि0 एवं स्वा0 विभाग, जयपुर।
2. निजी सचिव, शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग एवं मिशन निदेशक, एन.एच.एम., जयपुर।
3. नोडल अधिकारी/परियोजना निदेशक, मुख्यमंत्री निश्चुल्क जांच योजना, जयपुर।
4. समस्त संयुक्त निदेशक (जोन) को भेजकर लेख है कि अपने जोन के समस्त चिकित्सा संस्थान में
उक्तानुसार की पालना सुनिश्चित की जावे।
5. डॉ0 सुधीर जैन, प्रभारी निश्चुल्क जांच योजना, जयपुर।
6. संलग्न सूचीनुसार — समस्त चिकित्सा संस्थान प्रभारी।
7. समस्त बायो मेडिकल इंजीनियर को भेजकर लेख है कि आपकी पूर्व में जारी आदेश क्र. 136
दि0 04.07.2014 के अनुसार जोन की रिपोर्ट अभी तक प्राप्त नहीं हुई है। अतः तीन दिवस में
रिपोर्ट भिजवाया जाना सुनिश्चित करें।
8. रक्षित पत्रावली।

(डॉ0 बी.आर. मीणा)
निदेशक (जन स्वा0)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ
राजस्थान, जयपुर